न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 05/20 **सन् 2020**

RCMS NO-2020/00014

बउनवानीः–

1. कन्नूलाल पुत्र पून्या नाथ (जोगी) निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. शिवचरण पुत्र पून्या नाथ (जोगी) निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. कमलेश पुत्र गोविन्दा नाथ(जोगी) निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
4. मुकेश पुत्र गोविन्दा नाथ (जोगी) निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. धूल्या पुत्र कोरी नाथ (जोगी) निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. गीता पत्नि देव्या नाथ (जोगी) निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 465 निर्णय दिनांक 24.6.1975 वाके ग्राम आलनपुर, तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री शिवचरण सोनी — वकील रेस्पो.

–: निर्णय :– **दिनांक 11.3.2020**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 465 निर्णय दिनांक 24.6.1975 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विरासत का नामा0 दर्ज करने से पूर्व मृतक कोरी नाथ पुत्र सोला नाथ के विधिक वारिसानों की सही तरीके से जॉच नही की गयी है जबकि रेस्पो. संख्या 1 के बाबा का नाम कोरी नाथ पुत्र गंगाधर नाथ था एवं अपीलान्ट के दादा का नाम कोरी नाथ पुत्र सोला नाथ था। मृतक देव्या के विधिक वारिसानों ने विवादित भूमि हाल ख0न0 687 रकबा 0. 11 है0 का रजिस्टर्ड हक त्याग गीता पत्नि देव्या के पक्ष मे कर देने के कारण गीता पत्नि देव्या को पक्षकार बनाया गया है। यह तर्क भी दिया कि राजस्व ग्राम आलनपुर में स्थित साबिक ख0न0 511 रकबा 9 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004 से सम्वत् 2023 के खाता संख्या 108 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 के खाता संख्या 48 के अनुसार विवादित भूमि मृतक कोरी नाथ पुत्र सोला नाथ के नाम दर्ज थी तथा उक्त भूमि के भौतिक कब्जे की ताईद खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 मे पून्या नाथ के नाम से एवं सम्वत् 2013 में किशना पुत्र कोरी नाथ के नाम से हो जाती है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो. विवादित भूमि हाल ख0न0 को बेचने का प्रयास करने लगे तो रेस्पो. संख्या 1 व मृतक देव्या एवं बेवा गीता ने विवादित भूमि पर विरासत के अनुसार भौतिक कब्जा होने के कारण स्टाम्प भी तहरीर किया था लेकिन रेस्पो. द्वारा अपीलान्टगणो के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही करवाने के कारण अपीलान्टगणो ने राजस्व रिकार्ड मे हो रही गलती के बारे मे राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर विवादग्रस्त नामा0 संख्या 465 के बारे मे जानकारी होने पर नकल प्राप्त की जाकर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है।

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय आदेश जैर अपील से संबंधित साबिक ख0न0 511 रकबा 9 बिस्वा हाल ख0न0 687 रकबा 0.11 है0 के पूर्व खातेदार एवं उसके वारिसान के संबंध मे सही जॉच नही की गयी है। क्योकि पुराने राजस्व रिकार्ड में उक्त ख0न0 कोरी नाथ पुत्र सोला नाथ की खातेदारी मे रहा है। इसलिए यदि उक्त ख0न0 की सीमा तक आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है तो मुझ रेस्पो. को आपत्ति नही है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004 से सम्वत् 2023 के खाता संख्या 108 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 के खाता संख्या 48 के अनुसार विवादित भूमि मृतक कोरी नाथ पुत्र सोला नाथ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है तथा उक्त भूमि के भौतिक कब्जे की पुष्टि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 मे पून्या नाथ एवं सम्वत् 2013 में किशना पुत्र कोरी नाथ के नाम अंकित होने से हो जाती है। इसके अतिरिक्त वकील रेस्पो. द्वारा भी उक्त ख0न0 कोरी नाथ पुत्र सोला नाथ का होना बताया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि साबिक ख0न0 511 रकबा 9 बिस्वा वाके ग्राम आलनुपर कोरी नाथ पुत्र गंगाधर नाथ की खातेदारी का ना होकर सोलानाथ एवं उसके पुत्र कोरी नाथ की खातेदारी का होने के कारण उसकी विरासत का नामा0 अपीलान्टगण के नाम दर्ज फैसल होना चाहिए। उपरोक्त विवेचन से यह सिद्व होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय साबिक आराजी ख0न0 511 रकबा 9 बिस्वा के पुरानी खातेदारी से संबंधित राजस्व रिकार्ड की जॉच नही की गयी है। अतः प्रकरण में साबिक ख0न0 511 रकबा 9 बिस्वा वाके ग्राम आलनपुर की पुरानी खातेदार की जॉच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 465 को साबिक ख0न0 511 रकबा 9 बिस्वा की सीमा तक खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि साबिक ख0न0 511 रकबा 9 बिस्वा हाल ख0न0 687 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम आलनपुर के पुराने राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारी की गहनता से जॉच कर मृतक कोरी नाथ पुत्र सोला नाथ एवं कोरी नाथ पुत्र गंगाधर के वारिसान को उक्त ख0न0 पर अपने–अपने अधिकार सिद्व करने का समुचित अवसर दिया जावे एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड लिया जावे अर्थात उभय पक्षों को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.3.2020 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.03.30 18:08:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: